न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–..........राँची...................., वाद संख्या–........22................सन्–.........2020–21...... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–पुजा जायसवाल बनाम प्रतिपक्षी–झारखण्ड सराकर अंचल बुण्डू (राँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

19-09-2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–पुजा जायसवाल, पति–श्री दिवाकर जायसवाल, ग्राम–थाना रोड बुण्डू, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–617 R 27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–28/05/2019. को पारित आदेश के विरूद्व अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	0028	70	2946	26 डिसमील मध्ये 22 डिसमील

चौहदीः–

उ०–प्लॉट नं०–2946 का अंश, द०–ग्रामीण रास्ता,

पू०–सुमित्रा देवी, प०–विक्रेता नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि–उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन में विक्रेता की विवरणी त्रुटिपूर्ण होने के कारण दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–617 R 27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना का प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाइन प्राप्त है, जिसमें विक्रेता की विवरणी त्रुटिपूर्ण है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा उक्त नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
19-09-2020	अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से पुनः स्वच्छ आवेदन प्राप्त कर उन्हें सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	